पत्रांक- 17/शि01-02/2016................................/

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

मीना ठाकुर,
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
बोकारो।

राँची, दिनांक..................

विषयः- **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-09 के तहत् दिल्ली पब्लिक स्कूल, चास, बोकारो को मान्यता प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंगः- आपका पत्रांक 1176 दिनांक 07.09.17

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल, चास, बोकारो को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-09 के तहत् मान्यता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के अन्तर्गत विद्यालय को मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

तद्नुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित प्रावधान तथा विषयांकित विद्यालय द्वारा 25 प्रतिशत अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने की शर्त्त के अधीन प्रपत्र-2 में विद्यालय को मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(मीना ठाकुर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक 17/शि01-02/2016....1648.... रांची, दिनांक ....29/11/17....

प्रतिलिपिः- सचिव, दिल्ली पब्लिक स्कूल, चास, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.11.17

(मीना ठाकुर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

mtiwari

DR. MANISHA TIWARI
PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
CHAS, BOKARO

DELHI PUBLIC SCHOOL
BOKARO
CHAS

Rajesh Kumar